मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन, 'सी विंग, द्वितीय तल,59 अरेरा हिल्स्, भोपाल

Ph. 0755–2551487 Fax 2550094

क्रमांक /5629 NR-4 / PA/Commr/MGNREGS/2012 — भोपाल,दिनांक/3जून,2012

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.,
समस्त जिला पंचायत (मध्य प्रदेश)

विषयः– मनरेगा अन्तर्गत संविदाकर्मियों को अन्य नियमित प्रभार न सौंपे जाने बाबत्।

मनरेगा अन्तर्गत प्रशासकीय व्यय से योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रबंधकीय एवं तकनीकी अमले को रखा गया है। भारत सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि जिस अमले का वेतन मनरेगा प्रशासकीय व्यय से दिया जाता है वह पूर्णतः मनरेगा कार्यक्रमों के लिए कार्य करेगा तथा अन्य किसी योजना अथवा कार्यक्रम का प्रभार उसे न सौंपा जाए। वर्तमान में चल रहे महालेखाकार आडिट के परिपेक्ष्य में मनरेगा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए तथा किसी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति निर्मित न होने पाए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कृपया समस्त संविदाकर्मियों की इस दृष्टि से अपने स्तर पर समीक्षा करें एवं तदानुसार परिषद को उक्त निर्देशों के पालन की जानकारी एक माह में भेजी जाए।

(नीरज मण्डलोई)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद